रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 263] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 4, 1982/भाद्र 13, 1904

No. 263] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 4, 1982/BHADRA 13, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 1982

सा० का० नि० 555 (अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 642 की उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए* कम्पनी (केन्द्रीय सरकार) साधारण नियम और प्ररूप, 1956 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (केन्द्रीय सरकार) साधारण नियम और प्ररूप (संशोधन) नियम, 1982 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. कंपनी (केन्द्रीय सरकार) साधारण नियम और प्ररूप, 1956 के नियम 4क में,--

(i) उपनियम (1) में अंतिम वाक्य के स्थान पर निम्नलिखित वाक्य रखा जाएगा, अर्थात् :

"ऐसा प्रत्येक आवेदन प्ररूप 1क में होगा और उसके साथ 100 रु० की फीस होगी तथा कंपनी रजिस्ट्रार सामान्यतया आवेदन प्राप्त करने के चौदह दिन के भीतर अपेक्षित जानकारी पेश करेगा ,"

(ii) उप नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(2) जहां कंपनी रजिस्ट्रार, कंपनी को या कंपनी के संप्रवर्तकों को यह सूचना देता है कि यथास्थिति, परिवर्तित नाम या वह नाम जिससे प्रस्थापित कंपनी रजिस्ट्रीकृत की जानी है, अवांछनीय नहीं है वहां ऐसा नाम रजिस्ट्रार द्वारा सूचना दिए जाने की तारीख से --

(क) उक्त कंपनी द्वारा छह मास के लिए ; या

(ख) कंपनी के उक्त संप्रवर्तकों द्वारा, तीन मास के लिए अपनाए जाने के लिए उपलब्ध होगा ।" ।

3 कंपनी (केन्द्रीय सरकार) साधारण नियम और प्ररूप, 1956 के उपाबंध "क" में :--

(1) प्ररूप सं० 1 क और प्ररूप सं० 1 ख क्रमश प्ररूप सं 1 ख और प्ररूप सं० 1ग के रूप में पुन: संख्यांकित किए जाएंगे और इस प्रकार पुन: संख्यांकित प्ररूप सं० 1ख के पूर्व निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"कम्पनी अधिनियम, 1956

प्ररूप सं० 1 क

नामों की उपलभ्यता के लिए आवेदन का प्ररूप*

टिप्पण :--कम्पनी (केन्द्रीय सरकार) साधारण नियम और प्ररूप, 1956 केन्द्रीय सरकार द्वारा 18 फरवरी, 1956 की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 432क के अधीन अधिसूचित किए गए थे और भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 18 फरवरी, 1956 के अधीन प्रकाशित किए गए थे ।

सेवा में,

कंपनी रजिस्ट्रार

.... ।

महोदय,

विषय :—नामों की उपलभ्यता के लिए जानकारी प्रस्तुत करना ।

हम, निम्नलिखित आवेदक .... राज्य में कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकृत की जाने वाली कंपनी गठित करना चाहते हैं ।

1. नामों की उपलभ्यता के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) का/के नाम और पता/पते (साफ अक्षरों में)

2. कंपनी का प्रस्तावित नाम

3. क्या कंपनी पब्लिक या प्राइवेट होगी ? यह उल्लेख करें ।

4. यदि मद 2 में वर्णित प्रस्तावित नाम उपलब्ध नहीं है तो अधिमानता के क्रम में विचार किए जाने वाले 3 नाम

5. प्रस्तावित कंपनी का मुख्य उद्देश्य ।

6. भावी निदेशकों या संप्रवर्तकों आदि के नाम और पते

7. एक ही समूह या एक ही प्रबंध के अधीन अन्य कंपनियों के रजिस्ट्रीकृत कार्यालयों के नाम और उनकी अवस्थिति की विशिष्टियां

8. प्रस्तावित प्राधिकृत पूंजी

9. कृपया उस आवेदन की विशिष्टियां और परिणाम पेश करें जो पहले इस रजिस्ट्रार या किसी अन्य रजिस्ट्रार के समक्ष नामों की उपलभ्यता के लिए प्रस्तुत किया गया हो ।

10. फीस के संदाय की विशिष्टियां (ड्राफ्ट/आई० पी० ओ०) ...... रु०

अवस्थिति ....

तारीख .... आवेदक के हस्ताक्षर

*कृपया कंपनी (केन्द्रीय सरकार) साधारण नियम और प्ररूप, 1956 का नियम 4क देखें ।" ;

(iii) प्ररूप 5 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:—

"कंपनी अधिनियम, 1956

प्ररूप सं० 5

रजिस्ट्रीकरण सं० ....

अभिहित पूंजी ....रु०

समेकन, विभाजन आदि/शेयर पूंजी में वृद्धि/सदस्यों की संख्या में वृद्धि

[धारा 95, 97/94क (2)/81(4) के अनुसरण में]

कम्पनी का नाम ....

*1. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 95 के अनुसार सूचना दी जाती है कि **

*2. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 97 के अनुसार सूचना दी जाती है कि कम्पनी के तारीख .... के साधारण संकल्प/विशेष संकल्प के द्वारा —

(i) कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी में .... रु० की राशि की वृद्धि कर दी गई है जो विद्यमान ....रु० की प्राधिकृत पूंजी से अधिक है ।

(ii) कंपनी के सदस्यों की संख्या में .... सदस्यों को जोड़कर वृद्धि कर दी गई है जो विद्यमान .... की रजिस्ट्रीकृत संख्या से अधिक है ।

*3(i) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 94क की उपधारा (3) के अनुसार सूचना दी जाती है कि कंपनी की शेयर पूंजी में, ... द्वारा (यहां वित्तीय संस्था का नाम लिखें) डिबेंचरों/उधारों को शेयर में संपरिवर्तन के लिए आवेदन किए जाने पर अधिनियम की धारा 81 की उपधारा (4) या धारा 94 क की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार के तारीख ...... के आदेश के फलस्वरूप, ... रु० की वृद्धि की गई है जो इसकी विद्यमान रु० .... की प्राधिकृत पूंजी से अधिक है ।

(ii) कम्पनी को केन्द्रीय सरकार से पूर्वोक्त आदेश की प्रति तारीख .... को प्राप्त हुई ।

4. अतिरिक्त पूंजी का निम्नलिखित रूप में विभाजन किया गया है :—

शेयरों की सं०	शेयरों का वर्ग	प्रत्येक शेयर का अभिहित रकम
1	2	3

वे शर्तें (जैसे मतदान का अधिकार, लाभांश का अधिकार, समापन का अधिकार आदि) जिनके अधीन रहते हुए नए शेयर निर्गमित किए गए हैं निम्नलिखित है यदि कोई शेयर अधिमानी शेयर है तो इस बात का उल्लेख करें कि वे मोचनीय हैं या नहीं) :

हस्ताक्षर ....

नाम ....

(स्पष्ट अक्षरों में)

तारीख .... पद नाम ....

* जो लागू न हो उसे काट दें ।

** यहां धारा 59 की उपधारा (1) के खंड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) या (च) के अन्तर्गत आने वाले मामलों का विशिष्टियां लिखें । (यदि कोई मामला इन खंडों में से किसी एक से अधिक के अन्तर्गत आता है तो प्रत्येक मद के अन्तर्गत आने वाले भाग को अलग-अलग विनिर्दिष्ट करें ।" ,

(iii) प्ररूप सं० 6, 6क, 7 और 7क का लोप किया जाएगा ।

(iv) प्ररूप सं० 8 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :—

"कम्पनी अधिनियम, 1956

प्ररूप सं० 8

रजिस्ट्रीकरण सं० ....

अभिहित पूंजी सं० ....रु०

उस भार की विशिष्टियां जो भारत में रजिस्ट्रीकृत कंपनी द्वारा सृष्ट किया गया है ।

जिसके अधीन रहते हुए सम्पत्ति भारत में रजिस्ट्रीकृत कंपनी द्वारा की गई है

भार का उपांतरण

[धारा 125/127/135 के अनुसरण में]

कंपनी का नाम ....

.... द्वारा उपस्थापित

1. भार सृष्ट करने वाली लिखत की तारीख और उसका वर्णन ।

2. भारित रकम द्वारा प्रत्याभूत रकम जो भार की प्रतिभूति पर देय है ।

3. भारित सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण यदि अर्जित सम्पत्ति भार के अधीन है तो संपत्ति के अर्जन की तारीख भी दी जानी चाहिए ।

4. भार के निबन्धनों और शर्तों और उसके विस्तार और प्रवर्तन का सारांश ।

5. भार के हकदार व्यक्तियों के नाम, पते और वर्णन ।

6. भार को उपांतरित करने वाले लिखत की तारीख और संक्षिप्त वर्णन ।

7. उस भार के निबन्धन और शर्तें या उसका विस्तार या प्रवर्तन विनिर्दिष्ट करते हुए उपांतरण की विशिष्टियां, जिसमें उपांतरण किया गया है तथा उपांतरण का ब्यौरा ।

हस्ताक्षर ....

नाम ....

(स्पष्ट अक्षरों में)

पद नाम ....

तारीख ....

टिप्पण :— 1. "भार" के अन्तर्गत बन्धक है—धारा 125 देखिए । लिखत का वर्णन अर्थात् क्या वह न्यास, विलेख, बंधक या डिबेंचर है, भी दिया जाना चाहिए ।

2. "भार के हकदार व्यक्ति" के अन्तर्गत बंधकदार है ।

3. इस विवरणी में सम्मिलित किसी डिबेंचर में से किसी के लिए किसी व्यक्ति के अभिदाय करने या अभिदाय करते के लिए करार करने, चाहे वह आत्यंतिक रूप से हो या सशर्त रूप से हो या प्रतिभूति दिए जाने या प्रतिभूति देने का करार करने के चाहे वह आत्यंतिक रूप से हो या सशर्त रूप से हो, प्रतिफलस्वरूप उसे कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से संदत्त दर कमीशन, मोक या डिस्काउंट (यदि कोई हो) की रकम या प्रतिशत .... मद सं० 4 में दी जानी चाहिए ।" ;

(v) प्ररूप सं० 10 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :—

"**कंपनी अधिनियम, 1956**

प्ररूप सं० 10

रजिस्ट्रीकरण सं० ....

अभिहित पूंजी ... . रु०

ऐसे डिबेंचरों की शृंखला की विशिष्टियां जो भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी कम्पनी द्वारा और शृंखला में डिबेंचरों के निर्गमित किए जाने से सृष्ट (क) ऐसा कोई भार अंतर्विष्ट है (ख) किसी अन्य लिखत के प्रति निर्देश करके दी गई है जिनके फायदों के लिए उक्त शृंखला के धारक समान रूप से हकदार हैं ।

[धारा 128 और 129 के अनुसरण में]

इस प्ररूप का उपयोग पूरी शृंखला की विशिष्टियों के रजिस्ट्रेशन के लिए और किसी शृंखला में निर्गमन के लिए किया जाना चाहिए ।

कंपनी का नाम .... लिमिटेड/प्राइवेट लिमिटेड .... द्वारा उपस्थापित ।

पूरी शृंखला द्वारा प्रतिभूत कुल रकम	शृंखला के वर्तमान निर्गमन की रकम	शृंखला के निर्गमन को प्राधिकृत करने वाले संकल्पों की तारीख	तत्संबंधी विलेख (यदि कोई हो) की तारीख जिसके द्वारा प्रतिभूति सृष्ट की गई है या परिभाषित की गई है या यदि कोई ऐसा विलेख नहीं है तो शृंखला में किसी डिबेंचर के निष्पादन की तारीख
1	2	3	4

भारित संपत्ति का साधारण विवरण	भार (ख) के निबन्धनों और शर्तों, तथा विस्तार और प्रवर्तन का सारांश	डिबेंचर धारियों के लिए यदि कोई न्यासी होंगे, उनके नाम और पते	शृंखला (ग) के रजिस्ट्रीकरण की तारीख
5	6	7	8

विद्यमान निर्गमन की तारीख	विद्यमान निर्गमन की रकम	भार (ख) के निबंधनों और शर्तों और विस्तार तथा प्रवर्तन का सारांश	इस विवरणी में (छ) सम्मिलित किन्हीं डिबेंचरों में से किसी के लिए चाहे आत्यंतिक रूप से या सशर्त रूप से प्रतिश्रुति दिए जाने या प्रतिश्रुति देने का करार करने अथवा किन्हीं ऐसे डिबेंचरों के लिए चाहे आत्यंतिक रूप से या सशर्त रूप से प्रतिश्रुतियां उपाप्त करने के या उपाप्त करने के करार के प्रतिफलस्वरूप कंपनी द्वारा किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से संदत्त या स्वीकृत कमीशन, मोक या डिस्काउंट की रकम अथवा प्रतिशत दर के बारे में विशिष्टियां
9	10	11	12

हस्ताक्षर ....

पदनाम (ह०) ....

तारीख ....

(क) लिखतों का वर्णन जैसे, यथास्थिति, "न्यास विलेख", "बन्धक" "डिबेंचर" आदि दिया जाना चाहिए ।

(ख) भार के अन्तर्गत "बन्धक" है- धारा 124 देखिए ।

(ग) रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र के लिए रजिस्ट्रीकरण की तारीख की पुष्टि की जानी चाहिए ।

(घ) डिबेंचर के निबन्धनों के अधीन ब्याज की दर प्रविष्ट नहीं की जानी चाहिए ।

(ङ०) कंपनी के संबंध में स्थिति बताएं ।" ;

(vi) प्ररूप सं० 11 का लोप किया जाएगा ;

(vii) प्ररूप सं० 14 का लोप किया जाएगा ;

viii) प्ररूप सं० 18 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा अर्थात् :—

"कंपनी अधिनियम, 1956

प्ररूप सं० 18

रजिस्ट्रीकरण सं० ....

अभिहित पूंजी .... रु०

रजिस्ट्रीकृत कार्यालय की अवस्थिति/अवस्थिति में परिवर्तन की सूचना

(धारा 146 के अनुसरण में)

कंपनी का नाम ....

यह सूचना दी जाती है कि ....

1(क) कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय, तारीख .... से .... स्थान पर स्थित है ।

(ख) कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का स्थान, तारीख ...... सं० .... (स्थान) से .... (स्थान) को हटा लिया गया ।

2. रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का स्थान, ... (पुलिस थाना) की अधिकारिता के अधीन आता है ।

हस्ताक्षर ....

नाम ....

(स्पष्ट अक्षरों में)

पद नाम ....

तारीख ....

निकटतम पुलिस थाने का पता, जिला और तहसील सहित, लिखें ।" ;

(ix) प्ररूप सं० 21 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा अर्थात् :—

"कम्पनी अधिनियम, 1956

प्ररूप सं० 21

रजिस्ट्रीकरण सं० ....

अभिहित पूंजी .... रु०

न्यायालय/कंपनी विधि बोर्ड के आदेश की सूचना धारा* .... के अनुसरण में :—

1. कम्पनी का नाम ;

2. न्यायालय/कंपनी विधि बोर्ड का नाम और स्थान ;

3. आदेश पारित करने की तारीख ;

4. कम्पनी अधिनियम की वह धारा जिसके अधीन आदेश पारित किया गया है ।

आदेश की अधिप्रमाणित प्रति संलग्न है ।

हस्ताक्षर ....

नाम ....

(स्पष्ट अक्षरों में)

पदनाम ....

तारीख ....

*इस धारा को उपदर्शित करें जिसके अनुसरण में आदेश पारित किया गया है :

धारा 17(1), 79, 81(2), (4) और 94 क (2), 102 (1), 107 (3), 111(5), 141, 155 186, 391(2), 394(1) और 398" ;

(x) प्ररूप सं० 22 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :—

"कंपनी अधिनियम 1956

प्ररूप सं० 22 क

विनिर्दिष्ट अवधि से कम अवधि की सूचना के लिए शेयरधारक की स्वीकृति

[धारा 171 (2) के अनुसरण में]

सेवा में,

निदेशक बोर्ड

....

मैं, ... श्री .... का पुत्र/की पुत्री और .... का निवासी हूं, कंपनी में अपने नाम में .... रु० के साधारण/अधिमानी शेयर का धारक कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 171 (2) के अनुसरण में ...... तारीख को वार्षिक/असाधारण अधिवेशन, विनिर्दिष्ट अवधि से कम अवधि की सूचना पर आयोजित करने की स्वीकृति देता हूं ।

हस्ताक्षर ....

नाम ....

(स्पष्ट अक्षरों में)

तारीख ....";

(xi) प्ररूप सं० 23 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :—

"कंपनी अधिनियम, 1956

प्ररूप सं० 23

रजिस्ट्रीकरण सं० ....

अभिहित पूंजी .... रु०

संकल्प (संकल्पों) और करार (करारों) का रजिस्ट्रीकरण
(धारा 192 के अनुसरण में)

कंपनी का नाम ....

सूचना के प्रेषण की तारीख ....
पारित होने की तारीख ....
अधिवेशन का स्थान ....

क. बोर्ड
शेयर धारकों
शेयर धारकों के वर्ग
लेनदारों

द्वारा पारित/मंजूर किए गए प्रत्येक संकल्प (संकल्पों) की प्रति जिनकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं, धारा 173 के अधीन स्पष्टीकारक कथन की अधिप्रमाणित प्रति सहित जहां लागू हो वहां अभिलेख के लिए फाइल की जाती है/जाती हैं।

क्रम सं०	संकल्प की विषय वस्तु	कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन अपेक्षा के प्रति निर्देश	यथा साधारण या विशेष संकल्प या अपेक्षित बहुसंख्या सहित	संकल्प पारित करने / उसे मंजूर करने वाला प्राधिकारी
1	2	3	4	5

ख. किए गए करार की प्रति, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं अभिलेख के लिए संलग्न हैं।

क्रम सं०	करार की विषय वस्तु	कंपनी अधिनियम 1956 की धारा के प्रति निर्देश, यदि लागू हो	करार की तारीख	करार को अपनाने वाला प्राधिकारी
1	2	3	4	5

ग. यह प्रमाणित किया जाता है कि इसके साथ फाइल की गई करार/करारों की प्रतियां मूल की सत्य प्रतिलिपि है/हैं

हस्ताक्षर ....

नाम ....
(साफ अक्षरों में)

पद नाम ....

तारीख ....

टिप्पण :—करार को अपनाने वाला प्राधिकारी, अधिनियम की अपेक्षाओं के प्रतिनिर्देश से, करार की विधिमान्यता के बारे में विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

(2) संकल्पों की प्रतियों में, उपरोक्त "क" में दी गई क्रम संख्या के प्रति निर्देश होना चाहिए।";

(xii) प्ररूप सं० 23 कक के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :—

"कंपनी अधिनियम, 1956

प्ररूप सं० 23 कक

रजिस्ट्रीकरण सं० ....

अभिहित पूंजी .... रु०

उस पते की सूचना जिस पर लेखा बहियां रखी जाती हैं।

[धारा 209 (2) के परन्तुक के अनुसरण में]

कंपनी का नाम ....

इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी के निदेशक बोर्ड ने तारीख .... के संकल्प द्वारा यह विनिश्चय किया है कि .... स्थान पर (नया पूरा पता दें) कंपनी की लेखा बहियां तारीख .... से रखी जाएं जो *.......... की अधिकारिता में आता है।

हस्ताक्षर ....

नाम ....
(स्पष्ट अक्षरों में)

तारीख ....

*पुलिस थाने के नाम सहित जिला और तहसील का उल्लेख करें।";

(xiii) प्ररूप सं० 23ग के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"कंपनी अधिनियम, 1955

प्ररूप सं० 23घ

रजिस्ट्रीकरण सं० ....

अभिहित पूंजी .... रु०

आवेदन फीस 100/- रु०

कंपनी में अन्यायपूर्ण आचरण या कुप्रबन्ध निवारण के लिए कंपनी के किसी सदस्य द्वारा, जो न्यायालय में आवेदन करने के लिए प्राधिकृत होना चाहता है, कंपनी के कामकाज का अन्वेषण करने के लिए केन्द्रीय सरकार को दिए जाने वाले आवेदन का प्ररूप।

[धारा 235 (क) (ख), 399 (4) और 408 के अनुसरण में]

कंपनी का नाम ....

1. कंपनी का पता ....
2. आवेदकों की विशिष्टियां :—
   (क) नाम .... (स्पष्ट अक्षरों में)
   (ख) पता ....
   (ग) उसके द्वारा धारित मत शक्ति
   (यदि कम्पनी की शेयर पूंजी है)
3. आवेदकों की कुल संख्या।
4. उनकी कुल मत शक्ति।
5. अन्वेषण की अपेक्षा करने के प्रमित और विशिष्ट कारण।
6. आवेदन फीस की विशिष्टियां (मांगदेय ड्राफ्ट या भारतीय डाक प्रमाणपत्र जो वेतन और लेखा अधिकारी को, नई दिल्ली में संदेय हो)।
7. उपरोक्त .... पैरा में किए गए कथन हमारे ज्ञान के अनुसार सही हैं और शेष पैराओं में किए गए कथन हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं।

....
आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख ....

संलग्नक—शपथपत्र"।;

(xiv) प्ररूप सं० 24 क के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"कंपनी अधिनियम, 1956

प्ररूप सं० 24कक

हितबद्ध निदेशक द्वारा सूचना

[धारा 299 के अनुसरण में]

सेवा में,

निदेशक बोर्ड,

....

मैं, ...श्री ....

का पुत्र/की पुत्री और .... का निवासी जो कंपनी में अपने नाम में .... रु० (समादत्त पूंजी का .... प्रतिशत) के शेयरों का (साधारण या अधिमानी) धारक हूँ, इसके द्वारा सूचना देता हूँ/हूं कि मैं निम्नलिखित कंपनियों में प्रत्यक्ष रूप से/अपने नातेदार (नातेदारों) के माध्यम से हितबद्ध हूँ:

कंपनी/फर्मों का नाम	हित की प्रकृति
1.	1. ....
2.	2. ....
3.	3. ....

हस्ताक्षर ....

नाम ....

(स्पष्ट अक्षरों में)

तारीख .... ।"

(xv) प्ररूप सं० 25क के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :—

"कंपनी अधिनियम, 1956

प्ररूप सं० 25क

रजिट्रीकरण सं० ....

अभिहित पूंजी .... रु०

भाग क

प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक और प्रबंधक की नियुक्ति अथवा पुनर्नियुक्ति और उन्हें संदेय पारिश्रमिक के लिए केन्द्रीय सरकार को आवेदन का प्ररूप।

(धारा 269, 311 और 388 के अनुसरण में)

1. (क) कंपनी का नाम :
   (ख) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता
   (ग) रजिस्ट्रीकरण की तारीख

2. मुख्य कारबार

3. विदेशियों द्वारा धृत या विदेशियों को निर्गमित किए जाने के लिए प्रस्तावित शेयरों की विशिष्टियां, यदि कोई हों।

4. विद्यमान प्रबंध की प्रकृति और स्वरूप :

(i) कंपनी का प्रबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा रहा है—
   (क) निदेशक बोर्ड
   (ख) प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक.
   (ग) प्रबंधक

(ii) प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक को दिए जा रहे पारिश्रमिक की विशिष्टियां :—
   (क) नयी नियुक्ति
   (ख) पुनर्नियुक्ति

अंतिम मंजूरी सं० और तारीख (एक प्रति भी संलग्न करें)

(iii) प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक द्वारा की जा रही सेवा की प्रकृति

(iv) निदेशकों को संदेय कमीशन, भत्ते, फीस, वेतन, यदि कोई हों, की विशिष्टियां जो उपरोक्त उप-मद (ii) में उपदर्शित नहीं की गई हैं।

5. वह प्रस्ताव जिसके लिए केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन चाहा गया है और उसका न्यायोचित्य

(i) नियुक्ति के लिए

(ii) प्रस्तावित प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक को दिए जाने के लिए प्रस्तावित पारिश्रमिक ।

6. (i) किसी अन्य कंपनी को संदेय पारिश्रमिक, यदि कोई हो ।

(ii) अन्य सेवाओं के लिए या किसी अन्य हैसियत में जैसे गारंटी कमीशन, परामर्श या वृत्तिक प्रभार (की गई सेवाओं और धारित हैसियत का ब्यौरा दीजिए) ।

7. क्रय/विक्रय अभिकरणों, वितरकों में निदेशकों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित यदि कोई हो, (पिछले तीन वर्षों के दौरान उठाए गए वित्तीय फायदों और संबंधित निदेशकों के नाम उपदर्शित करते हुए पूर्ण विशिष्टियां दें) ।

8. प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशकों के नातेदारों को संदेय पारिश्रमिक के ब्यौरे ।

9. क्या प्रस्तावित प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक का पति/पत्नी या पुत्र अथवा पुत्री उस कंपनी में या उसकी किसी समनुषंगी या उसी प्रबंध के या उसी समूह के कंपनी में नियोजित है ? यदि हां तो उनमें से प्रत्येक की बाबत नियोजन, परिलब्धियों आदि की विशिष्टियां दें ।

10. क्या वह प्रस्ताव जिसके लिए सरकार का अनुमोदन चाहा गया है—

(i) कंपनी के संगम-अनुच्छेद के अधीन आता है ? यदि हां तो अनुच्छेद की संख्या दें ।

(ii) कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित है ?

(iii) कंपनी के साधारण अधिवेशन में अनुमोदित है ?
(संकल्प की प्रतियां संलग्न करें)

11. यदि प्रस्ताव द्वारा प्रबंध या पूर्णकालिक निदेशकों की संख्या में कोई वृद्धि की जा रही है अथवा प्रस्ताव द्वारा आरंभ में एक से अधिक प्रबंध या पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किए जाने हैं तो उसके न्यायोचित्य का पूर्ण विवरण दीजिए और साथ ही प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशकों के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के विभाजन का ब्यौरा भी दिया जाना चाहिए।

12. उन समाचारपत्रों के नाम जिसमें धारा 640ख के अधीन सूचनाएं प्रकाशित की गई है और उनके प्रकाशन की तारीख ।

13. यदि प्रस्तावित प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक पहले भी कंपनी के नियोजन में था, उस पद की विशिष्टियां जिस पर वह था और गत तीन वर्षों के दौरान उसके द्वारा लिए गए पारिश्रमिक ।

14. क्या प्रस्तावित प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक किसी अन्य कंपनी में प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक/कर्मचारी के रूप में कार्यरत है, यदि हां तो, गत तीन वर्षों के दौरान उसके द्वारा लिए गए पारिश्रमिक के दर्शाने वाला ब्यौरा दें ।

15. क्या प्रस्तावित प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक किसी भी समय निम्नलिखित किन्ही अधिनियमों के अधीन कार्यवाही में अन्तर्ग्रस्त था या उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही लम्बित है ?

(i) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2)

(ii) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1)

(iii) आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18)

(iv) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65)

(v) खाद्य अप-मिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37)

(vi) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10)

(vii) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1)

(viii) धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)

(ix) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)

(x) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52)

(xi) स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम, 1968 (1968 का 45)

(xii) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54)

(xiii) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46)

(xiv) विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52)

16. क्या प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 267 या धारा 385 में उल्लिखित निरर्हताओं में से किसी से ग्रस्त है ?

17. 31 दिसम्बर ....को प्रभावी पूंजी ।

(i) समादत्त पूंजी

(ii) शेयर प्रिमियम

(iii) आरक्षितियां और अधिशेष

(iv) दीर्घकालिक उधार (प्राप्त निक्षेपों सहित—यदि कोई हो) :

(क) प्रत्याभूत

(ख) अप्रत्याभूत

कम कीजिए : विनिधान

कम कीजिए : संचयित हानियां और प्रारंम्भिक व्यय जो अपलिखित न किए गए हों ।

18. ....को समाप्त गत तीन वर्षों की बाबत कंपनी के कार्यरण सम्बन्धी परिणाम ।

(i) व्यापारावर्त

(ii) धारा 198 के अनुसार शुद्ध लाभ

(iii) निदेशक/प्रबंधको का पारिश्रमिक (ब्यौरे दीजिए)

1. प्रबंध निदेशकों/पूर्णकालिक निदेशकों से भिन्न निदेशकों को संदत्त बैठक फीस ।

2. वेतन, कमीशन, बोनस } प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशकों/प्रबंधक को संदत्त

3. परिलब्धियां और उनका धनमूल्य — प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशकों/प्रबंधक को संदत्त

(iv) साधारण शेयरों पर घोषित लाभांश की दर और रकम

(v) शुद्ध लाभों के अनुपात में प्रबंध संबंधी कुल परिलब्धियों का प्रतिशत

19. वर्तमान संपरीक्षकों के नाम और पते

20. क्या आवेदन की एक प्रति संलग्नकों सहित, कंपनी रजिस्ट्रार के पास भेज दी गई है, यदि हां तो, किस तारीख को ?

भाग ख

धारा 309 (3) के अधीन विहित सीमाओं के आधिक्य में न्यूनतम पारिश्रमिक या पारिश्रमिक के संदाय के अनुमोदन के लिए केन्द्रीय सरकार को आवेदन ।

(धारा 198(4)/309(3) 387 के अनुसरण में)

1. क्या कंपनी लाभ न होने या उसके अपर्याप्त होने के कारण न्यूनतम पारिश्रमिक या धारा 309 (3) के अधीन विहित सीमाओं के आधिक्य में पारिश्रमिक देना चाहती है ? यदि हां तो, इस निमित्त सुसंगत कंपनी के प्रस्ताव ।

(सुसंगत संकल्प की प्रतियां संलग्न करें ।)

घोषणा : इस आवेदन में और इसके उपाबंधों में दी गई जानकारी मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है ।

हस्ताक्षर...........

तारीख ....।"

(vi) प्ररूप सं० 25ग का लोप किया जाएगा ;

(vii) प्ररूप सं० 35क के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :—

"कंपनी अधिनियम, 1956 प्ररूप सं० 35क

रजिस्ट्रीकरण सं० ....

अभिहित पूंजी ....रु० स्कीम या संविदा के, जिससे अन्तरक कंपनी के शेयर या किन्ही शेयरों के वर्ग का अन्तरण अन्तरिती कंपनी को लेना है, प्रस्ताव के संबंध में दी जाने वाली जानकारी ।

(धारा 395 (4क) (क) (i) के अनुसरण में)

1. उस कंपनी का नाम जो प्रस्ताव कर रही है या जो प्रस्ताव के संबंध में कोई परिपत्र जारी कर रही है । (अन्तरिती कंपनी)

(क) अंतरिती कंपनी की प्रबंध संरचना (निदेशक बोर्ड का गठन तथा प्रबंधक और प्रबंध निदेशक, यदि कोई हो, के संबंध में विशिष्टियां) ।

(ख) पूंजी संरचना ।

(ग) निदेशकों, प्रबंधकों, प्रबंध निदेशकों (या उनके सहयुक्तों) के शेयर धारण की मात्रा ।

(घ) निदेशकों, प्रबंधकों, प्रबंध निदेशकों (या उनके सहयुक्तों) के अन्तरक कंपनी में शेयर धारण की मात्रा ।

(ङ) यदि प्रस्ताव किसी कंपनी की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है तो ऐसे प्रस्ताव करने वाली कंपनी में उक्त व्यक्ति का हित ।

(अन्तरक कंपनी)

2. (क) नाम

(ख) प्रबंध संरचना (निदेशक बोर्ड का गठन तथा प्रबंधक और प्रबंध निदेशक, यदि कोई हो, के संबंध में विशिष्टियां)

(ग) पूंजी संरचना

(घ) निदेशकों, प्रबंधकों, प्रबंध निदेशकों (या उनके सहयुक्तों) के अन्तरक और अन्तरिती कंपनी में शेयर धारण की मात्रा ।

3. अन्तरिती और अन्तरक कंपनियों की गत तीन वर्षों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त ब्यौरा परिशिष्ट में अन्तर्विष्ट प्रोफार्मा में पृथक-पृथक दिया गया है ।

4. अन्तरक कंपनी के शेयरों के क्रय के लिए प्रस्तावित कीमत या प्रतिफल । यदि प्रतिफल रकम से भिन्न है तो उसकी पूर्ण विशिष्टियां और जहां प्रतिफल में अन्तरिती कंपनी में शेयरों का आबंटन अन्तर्वलित है वहां शेयरों और उनसे संलग्न अधिकारों की पूर्ण विशिष्टियां विनिर्दिष्ट की जाएंगी और अन्तरक कंपनी के शेयरों के मूल्यांकन का आधार भी विनिर्दिष्ट किया जाएगा । उस दशा में जहां प्रतिफल अंतरिती कंपनी के शेयरों का आबंटन है वहां अन्तरिती कंपनी के आबंटन के लिए प्रस्तावित शेयरों के मूल्यांकन की पूर्ण विशिष्टियां भी जानी चाहिए ।

5. यदि प्रतिफल नकद है तो वे स्रोत जिनसे अन्तरिती कंपनी उक्त शेयरों के अर्जन के लिए संदाय करने की प्रस्तावना करती है ।

6. अन्तरक कंपनी के निदेशकों, प्रबंधक, प्रबंध निदेशक (या उनके सहयुक्तों) द्वारा आफर के पूर्ववर्ती दो वर्षों में शेयरों के अन्तरक कंपनी में किए गए अन्तरणों का ब्यौरा ।

7. वे कारण जिनके आधार पर अन्तरक कंपनी के सदस्यों को उनके निदेशकों ने यह आफर स्वीकृत करने के लिए सिफारिश की है । अन्तरक कंपनी को की गई प्रत्येक सिफारिश में निदेशकों, प्रबंधकों, प्रबंध निदेशकों (या उनके सहयुक्तों) के अन्तरिती कंपनी में हितों का कथन भी होगा ।

8. अन्तरक कंपनी के संपरीक्षकों का इस आशय का एक प्रमाणपत्र कि आफर सिफारिश में अंतर्विष्ट जानकारी सही है ।

हस्ताक्षर ....

नाम ....

(स्पष्ट अक्षरों में)

पदनाम

टिप्पण 1 : धारा 395 की उपधारा (4) के खंड (क) के उपखंड (ii) के अनुसरण में कथन अलग से पेश किया जाएगा ।

2. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 320 के प्रति ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

प्ररूप सं० 35क का परिशिष्ट

अद्यतन तुलनपत्र के अनुसार कंपनी की वित्तीय और सनातन सम्बन्धी स्थिति

चालू आस्तियां :

(जिनके अन्तर्गत व्यापारिक विनिधानों से भिन्न विनिधान तथा समनुषंगी और/या प्रबंधित कंपनियों में किए गए विनिधान है) कम कीजिए :

	रु०	रु०
चालू दायित्व :	रु०	रु०
(जिनके अन्तर्गत अल्पकालिक उधार और दायित्व हैं)	....	

समापन अधिशेष

जोड़िए—

(क) स्थिर आस्तियां ....

(ख) व्यापारिक विनिधान तथा समनुषंगी और/या प्रबंधित कंपनियों में किए गए विनिधान ....

कम कीजिए :

दीर्घकालिक उधार और .... दायित्व

.... (तुलन-पत्र की तारीख) को शुद्ध मूल्य

टिप्पण : शुद्ध मूल्य की उपरोक्त प्रकार से संगणना करने में निम्नलिखित मदों के संबंध में समायोजन किया जाना चाहिए :—

(i) अमूर्त आस्तियां, अर्थात् गुडविल आदि

(ii) शंकास्पद आस्तियां, अर्थात् शंकास्पद और डूबंत ऋण आदि

(iii) आस्थगित राजस्व व्यय

(iv) संचयित हानियां

(v) अवक्षेपण के बकाया

(vi) अधिमानी शेयर लाभांश के बकाया

(vii) लेखा पद्धति के अनुसार कटौती किए जाने के लिए अपेक्षित कोई अन्य रकम जो तुलनपत्र में अंकित हो ।

कुल

....

शुद्ध मूल्य का सामंजस्य

समादत्त पूंजी

जोड़िए

आरक्षितियां (कृपया ब्यौरे दीजिए) .... कम कीजिए

अमूर्त आस्तियां और अन्य

रकम जिनकी कटौती की जानी है

(उपरोक्त टिप्पण देखें) ....

(तुलन पत्र की तारीख) को शुद्ध मूल्य"

(iii) प्ररूप सं० 35क के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :—

"कंपनी अधिनियम, 1956

प्ररूप सं० 35ख

फीस 100 रु०

रजिस्ट्रीकरण सं० ... ...

अभिहित पूंजी सं० ....रु०

निदेशक बोर्ड में ऐसी कोई तब्दीली से निवारित करने के लिए जिससे कंपनी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना सम्भाव्य है केन्द्रीय सरकार द्वारा शक्ति का प्रयोग करने के लिए निदेशक/प्रबंध निदेशक द्वारा आवेदन

(धारा 409 के अनुसरण में)

कंपनी का नाम ....

1. कंपनी का पता ....

2 आवेदकों की विशिष्टियां :

(क) नाम (स्पष्ट अक्षरों में)

(ख) पता

3. शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्रमित और विशिष्ट कारण

4. उपरोक्त पैरा ...... में दिए गए कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है और पैरा ...... में किए गए कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है ।

हस्ताक्षर

पदनाम

तारीख ....

....

(xix) प्ररूप सं० 36क और 36ख का लोप किया जाएगा ;

(xx) प्ररूप सं० 52 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :--

"कंपनी अधिनियम 1956 प्ररूप सं० 52

रजिस्ट्रीकरण सं. ....

अभिहित पूंजी ....रु०

(क) भारत में निवासी उन व्यक्तियों के नामों या पते में परिवर्तन जिन्हें तामील अपने पर करा लेने के लिए प्राधिकार विदेशी कंपनी की ओर से प्राप्त है (ख) भारत में किसी विदेशी कंपनी के कारबार के प्रधान स्थान के पते में परिवर्तन (ग) भारत में किसी विदेशी कंपनी द्वारा स्थापित कारबार के स्थानों की सूची (घ) भारत में कारबार के स्थान को बन्द करने की सूचना

(धारा 593)(घ), (क) 594 (3), 597(3), के अनुसरण में)

कंपनी का नाम ....

निगमन का देश ....

उपरोक्त विदेशी कंपनी, भारत में .... स्थान पर कारबार का स्थान स्थापित करने के पश्चात् इसके द्वारा --

(क) भारत में निवासी उन व्यक्तियों के नामों और पतों में जिन्हें तामील अपने पर करा लेने के लिए प्राधिकार कंपनी की ओर से प्राप्त है, परिवर्तन के संबंध में सूचना देती है

विद्यमान पूरा नाम और उपनाम	सामान्य आवासीय पता	परिवर्तन के बारे में टिप्पणियां
1	2	3

(ख) भारत में कंपनी के कारबार के प्रधान स्थान के पते में परिवर्तन की सूचना देती है :

भारत में कारबार का प्रधान स्थान तारीख .... से .... स्थान से .... स्थान में अन्तरित कर दिया गया ।

(ग) भारत में कारबार के स्थानों .... (1) की सूचना देती है :

1 ....

2 ....

3 ....

(घ) (1) तारीख .... से भारत में निम्नलिखित कारबार का/के स्थानों को बंद करने की सूचना देती है :

(2) सूचना देती है कि कंपनी भारत में किसी अन्य स्थान पर कारबार का स्थान नहीं बनाए रखना चाहती है ।

हस्ताक्षर ....

नाम ....

(स्पष्ट अक्षरों में)

पदनाम

तारीख ....

टिप्पण 1 : वह तारीख जिस तक कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 594 (1) के अनुसरण में रजिस्ट्रार के परिदत्त किए जाने के लिए अपेक्षित तुलन पत्र और लाभ तथा हानि लेखा तैयार किया जाता है ।

2. जो भाग सुसंगत न हो उसे काट दें ।

3. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 592 (1) (घ) के अधीन प्राधिकृत एक या अधिक व्यक्तियों अथवा कंपनी द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत भारत में किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों के हस्ताक्षर " ;

(xxi) प्ररूप सं० 54 और प्ररूप सं० 54 क का लोप किया जाएगा।

[फा० सं० 5-2/82-सी एल० V]

पी० के० मल्लिक
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 1982

G.S.R. 555(E). In exercise of the powers conferred by clauses (a) and (b) fof sub-section(1) of section 642 of the Companies Act, 1956 the Central Government hereby makes the following rules further to amend the *Companies (Central Government's General Rules and Forms, 1956, namely :-

1. (1) These rules may be called the Companies (Central Governments') General Rules and Forms, (Amendment) Rules, 1982.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 4A of the Companies (Central Government's) General Rules and Forms, 1956,--

(1) In sub-rule (1), for the last sentence, the following sentence shall be substituted, namely :--

*Note : -The Companies (Central Government's General Rules and Forms, 1956 were notified by the Central Government on the 18th February, 1956 vide Notification No. S.R.O. 432A—published in Part II, section 3, sub-section (1) of the Gazette of India Extra-ordinary dated the 18th February, 1956.

"Every such application shall be in Form No. 1A and be accompanied by a fee of Rs. 100/- and the Registrar of Companies shall furnish the required information ordinarily within fourteen days of the receipt of the application." ;

(ii) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :

"(2) Where the Registrar of Companies informs the company or the promoters of the company that the changed name or the name with which the proposed company is to be registered, as the case may be, is not undesirable, such name shall be available for adoption,

(a) by the said company for a period of six months or

(b) by the said promoters of the company for a period of three months,

from the date of intimation by the Registrar."

3. In Annexure 'A' to the Companies (Central Government's) General Rules and Forms, 1956,—

(i) Form No. 1A and Form No. 1B shall be renumbered as Form No. 1B and Form No. 1C respectively and before Form No. 1B as so renumbered, the following Form shall be inserted, namely :—

"THE COMPANIES ACT, 1956

FORM NO. 1A

Application form for availability of names*

The Registrar of Companies,

....

Sir,

Subject : Availability of names—Information—Furnishing of.

We, the following applicants are desirous of forming a company to be registered under the Companies Act, 1956 in the State of ....

1. Name and full address of the person (s) applying for the availability of the name

(IN BLOCK CAPITALS).

2. Proposed name of the company

3. State whether public or private.

4. In case the proposed name mentioned in item (2) is not available, 3 names to be considered in the order of preference.

5. Main object of the proposed company.

6. Names and addresses of the prospective directors or promoters, etc.

7. Particulars of the names and situation of registered offices of other companies in the same group or under the same management.

8. Proposed authorised capital.

9. Please furnish particulars and results of any application moved to this or any other Registrar previously for availability of name

10. Particulars of remittance of fee (Draft/IPO) Rs.

Situation.........

Dated.........................

....

Signature of the applicant

(ii) for Form No. 5, the following Form shall be substituted, namely :—

"THE COMPANIES ACT, 1956

FORM NO. 5

Registration No...............

Nominal Capital Rs. ....

Notice of Consolidation, Division etc./Increase in Share Capital/ Increase in Number of Members

[Pursuant to sections 95, 97/94A (2)/81 (4)]

Name of the company..............

Notice is hereby given—

*1. In accordance with section 95 of the Companies Act 1956 that**

*2 in accordance with section 97 of the Companies Act, 1956 that by ordinary resolution/special resolution of the company dated the.. ....day of................19............

(i) the authorised share capital of the company has been increased by the addition thereto of the sum of Rs..............beyond the present authorised capital of Rs..................

(ii) that the number of members in the company has been increased by the addition thereto of .... members beyond the present registered number of ....

*3. (i) in accordance with sub-section (3) of section 94A of the Companies Act, 1956 that the share capital of the company has been increased beyond the present authorised capital of Rs..............by Rs.........., consequent upon an order dated.............of the Central Government under sub-section (4) of section 81 or sub-section (2) of section 94A of the Act on an application made to it by ....[here mention the name of the financial institution] for conversion of debentures/loans into shares,

(ii) a copy of the aforesaid order was received by the company from the Central Government on...............

*Refer rule 4A of the Companies (Central Government's) General Rules and Forms, 1956.

4. The additional capital is divided as follows :

No. of shares	Class of shares	Nominal amount of each share
1	2	3

The conditions (e.g. voting rights, dividend rights, winding up rights etc.), subject to which new shares have been issued, are as follows, (If any of the new shares are preference shares, state whether they are redeemable or not).

Signature . . . .

Name . . . .

(In Block Capitals)

Designation. . . . .

Dated the. . . . . day of. . . . . .19. . . . . . .

* Strike out which is not applicable.

**Here enter particulars of the case falling under clauses (a), (b), (c), (d), (e) or (f) of sub-section (1) of section 95. If a case falls under more than one of these clauses, specify the portion falling under each clause separately.".

(iii) Form Nos. 6, 6A, 7 and 7A shall be omitted.

(iv) For Form No. 8, the following Form shall be substituted, namely—

"THE COMPANIES ACT, 1956

FORM. NO. 8

Registration No. . . . .

Nominal Capital Rs. . . . .

created by a company registered

Particulars of charges subject to which property has been

Modification of charge

in India

acquired by a company registered in India.

[Pursuant to section 125/127/135]

Name of the Company. . . . .

Presented by. . . . .

1. Date and description of the instrument creating charge

2. Amount secured by the charge amount owing on security of the charge

3. Short particulars of the property charged. If the property acquired is subject to charge, date of acquisition of property should be given.

4. Gist of the terms and conditions and extent and operation of the charge.

5. Names, addresses and description of the persons entitled to charge.

6. Date and brief descriptions of instrument modifying the charge.

7. Particulars of modification specifying the terms and conditions or the extent or operation of the charge in which modification is made, and the details of the modification.

Signature. . . . .

Name. . . . .

(In Block Capitals)

Designation. . . . .

Dated the. . . . . .day of. . . . . .19. . . . .

N.B: 1. 'Charge' includes mortgage—See section 124. A description of the instrument, that is to say, whether trust deed, mortgage or debenture should also be given.

2. "Persons entitled to the charge" will include mortgagees.

3. Amount or rate percent of the commission allowance or discount (if any) paid or made either directly or indirectly by the company to any person in consideration of his subscribing or agreeing to subscribe, whether absolutely or conditionally, or procuring or agreeing to procure subscriptions, whether absolute or conditional, for any of the debentures included in this return, should be given in item No. 4".

(v) for Form No. 10, the following Form shall be substituted, namely :—

"THE COMPANIES ACT, 1956

FORM NO. 10

Registration No. . . . .

Nominal Capital Rs. . . . .

Particulars of a series of debentures, containing or giving by reference to any other Instrument (a), any charge, (b) to the benefit of which the debenture holders of the said series are entitled pari passu, created by a company registered in India and also of any issue of debentures in a series.

[Pursuant to sections 128 and 129]

This Form is to be used for registration of particulars of the entire series and also for any issue in a series.

Name of the company. . . . . Limited/Private Limited.

Presented by. . . . .

Total amount secured by the whole series	Amount of the present issue of series	Dates of resolution authorising the issue of the series	Date of the covering deed (if any) by which the security is created or defined; or if there is no such deed the first execution of any debenture of the series.
(1)	(2)	(3)	(4)

(5)	(6)	(7)	(8)
General description of the property charged.	Gist of the term, and conditions, and extent and operation of the charge (b)	Names and addresses of the trustees (if any) for the debenture holders	Date of registration of the series (c)

(9)	(10)	(11)	(12)
Date of Present issue	Amount of present issue	Gist of the terms and conditions, and extent and operation of the charge (b).	Particulars as to the amount or rate percent of the commission, allowances or discount (if any) paid, or made either directly or indirectly by the company to any person in consideration of subscribing or agreeing to subscribe, whether absolutely or conditionally or procuring or agreeing to procure subscription whether absolute or conditional, for any of the debentures included in this return (d)

Signature ....
Designation (e).............

Dated the .. .. .day of.... ... ...19 . ... .

(a) A description of the instrument, e.g. 'Trust Deed', "Mortgage", "Debentures" etc., as the case may be should be given.

(b) "Charge" includes "mortgage", See section 124.

(c) The date of registration may be confirmed from the certificate of registration.

(d) The rate of interest under the terms of the debentures should not be entered.

(e) State position in relation to the company".

(vi) Form No. 11 shall be omitted.

(vii) Form No. 14 shall be omitted.

(viii) for Form No. 18, the following Form shall be substituted, namely :—

"THE COMPANIES ACT, 1956

FORM NO. 18

Registration No.... ....

Nominal Capital Rs... ....

Notice of Situation/Change of Situation of Registered Office

[Pursuant to section 146]

ame of the company.. .. ..

Notice is hereby given that—

1. (a) the registered office of the company is situated ....with effect from...... (date)

(b) the situation of the registered office of the company was changed from ....to.......... with effect from..................(date)

2. Situation of registered office alls under the jurisdiction of ....(name of police station)*.

Signature...... ....

Name...................

(In Block Letters)

Designation.............. .

Dated the ....day of..........19........

*State address of nearest police station with district and tehsil."

(ix) for Form No. 21, the following Form shall be substituted, namely :—

"THE COMPANIES ACT, 1956

FORM NO. 21

Registration No.......................

Nominal Capital Rs. ....

Notice of the Court's/Company Law Board's Order

[Pursuant to section......... ..*]

1. Name of the company

2. Name of the Court/Company Law Board with location

3. Date of passing the order.

4. Section of the Companies Act under which order passed. An authenticated copy of the order is attached.

Signature....... ......

Name.................

(In Block Capitals)

Designation...........

Dated the...... ....day of..........19..........

*Indicate the section pursuant to which the order passed—
17(1), 79, 81 (2), (4) and 94A(2), 102(1), 107(3), 111(5) 141, 155, 186, 391(2), 394(1), 397 and 398".

(x) after Form No. 22 the following Form shall be inserted:—

"THE COMPANIES ACT, 1956

FORM NO. 22A

Consent by Shareholder for shorter notice

[Pursuant to section 171 (2)]

To

The Board of Directors

of....... ....

I, ...son of.... .....resident of......... holding equity/preference shares...........of Rs .... .in the company in my own name hereby give consent, pursuant to section 171 (2) of the Companies Act, 1956, to hold the annual/

extra-ordinary general meeting on ....at shorter notice.

Signature ....
Name...... ....
(In Block Capitals)

Dated the..... ....day of........19...... .";

(xi) for Form No. 23 the following Form shall be substituted, namely :—

"THE COMPANIES ACT, 1956

FORM NO. 23

Registration No. ....
Nominal Capital Rs . . . .

Registration of Resolution (s) and Agreement(s)
[Pursuant to section 192]

Name of the company... ....

Date of despatch of notice ....
Date of passing.......................
Place of meeting.......... . . .

A. Copy of the resolution(s) each passed/agreed to by the Board / Shareholders / Class of shareholders / Creditors

the particulars of which are given below is/are filed alongwith the certified true copy of the explanatory statement under section 173, where applicable, for record :

Sl. No.	Subject-matter of resolution	Reference to Requirement under the Companies Act, 1956	Whether ordinary or special resolution or with requisite majority	Authority passing/agreeing to the resolution
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

B. Copy of the agreement made, whose particulars are given below is enclosed for record:

Sl. No.	Subject matter of agreement	Reference to section of the Companies Act, if applicable	Date of agreement	Authority adopting the agremment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

C. It is certified that copy of the agreement (s) filed herewith is/are a true copy (ies) of the original.

Signature.. ....
Name................. ..
(In Block Capitals)
Designation.... ....

Dated the.... ....day of....... ....19.... . .

Note :—1. Authority adopting the agreement should be specified with reference to the requirements of the Act, as to the validity of the agreement.

2. Copies of resolutions should contain reference to the serial number given in 'A' above.";

(xii) For Form No. 23AA, the following Form shall be substituted, namely:—

"THE COMPANIES ACT, 1956

FORM NO. 23AA

Registration No... ....
Nominal Capital Rs...... ....

Notice of Address at which books of Accounts are maintained
[Pursuant to proviso to section 209 (1)]

Name of the company.... ... .

Notice is hereby given that the Board of Directors of the company have decided vide resolution, dated the .... day of.............. . .19 ....to keep the books of account of the company at ....(new full address) which falls under the jurisdiction of*...... .... with effect from.... .....

Signature............. .
Name.....................
(In Block Capitals)
Designation.............

Dated the............ .day of.............19........

*Give the name of police station with district and tehsil.'

(xiii) after Form No. 23C, the following Form shall be inserted, namely :—

"THE COMPANIES ACT, 1956

FORM NO. 23D

Application fee Rs..........

Registration No. . ...
Nominal Capital Rs... ....

Form of Application to the Central Government for investigation into the affairs of the company/by any member of a company who wish to be authorised to apply to the Court/to prevent oppression or mismanagement in the company

[Pursuant to sections 235(a)/(b), 399(4) and 408]

Name of the company............................ .....

1. Address of the company.............. ....

2. Particulars of the applicants:—

(a) Name (In Block Capitals)

(b) Address

(c) Voting power held by him (if the company has share capital)

3. Total number of applicants

4. Their total voting power

5. Precise and specific reasons for requiring investigation.

6. Particulars of application fee (Demand draft or I.P.C. payable to Pay and Accounts Officer, at New Delhi.)

7. The statements made in paragraphs .above are true to

our knowledge and those in remaining paragraphs are true to the best of our information and belief.

Signature of applicants ....

....

Dated the...... ..day of .19.... .
Encl. Affidavit.";

(xiv) after Form 24A, the following Form shall be inserted, namely:

"THE COMPANIES ACT, 1956

FORM NO. 24AA

Notice by the interested Director

[Pursuant to section 299]

To

The Board of Directors

of........... ....

....

I,.... .... son of.... ... . resident of....... .... holding...... .....shares (equity or preference) of Rs... ....percent of the paid up capital) in the company in my name, hereby give notice that I am interested directly/through my relative(s) in the following companies:

Name of the companies/firms	Nature of interest
1.	1. ....
2.	2. ....
3.	3. ....

Signature ... .

Name ....
(In Block Capitals)

Dated the.............day of ....19.. ...";

(xv) For Form No. 25A, the following Form shall be substituted, namely:—

"THE COMPANIES ACT, 1956

FORM NO. 25A

Registration No... ....

Nominal Capital Rs..... ....

PART A

Form of application to the Central Government for appointment/ re-appointment and remuneration payable to Managing/Whole-time Director(s) or Manager

[Pursuant to sections 269, 311 and 388]

1. (a) Name of the company
   (b) Address of its registered office
   (c) Date of its registration
2. Main Business
3. Particulars of share held by foreigners or proposed to be issued to foreigners, if any.
4. Nature and form of the existing management:
   (i) is the company managed by—
      (a) Board of Directors,
      (b) Managing/Whole-time Directors,
      (c) Manager,
   (ii) Particulars of remuneration being paid to Managing/ Whole-time Director/Manager.
      (a) new appointment,
      (b) reappointment last sanction No. and date (enclose a copy also)
   (iii) Nature of services rendered by the Managing/Whole-time Director/Manager,
   (iv) Particulars of commission, allowance, fees, salaries, if any, payable to Directors not indicated against sub-item (ii) above.
5. Proposal for which Central Government's approval is sought and justification therefor:
   (i) for appointment,
   (ii) remuneration proposed to be paid to the proposed Managing/Whole-time Director/Manager.
6. (i) Remuneration, if any, payable by any other company
   (ii) For other services or in any other capacity, e.g. guarantee, commission, consultancy or professional charges (give details of services rendered or capacity held).
7. Direct or indirect interest of Directors/Manager in selling/buying agencies, distributors, if any (give full particulars indicating the financial benefit derived during the last three years and name of Directors concerned).
8. Details of remuneration payable to any relative of Managing/Whole time Director.
9. Whether the spouse or son or daughter of the proposed Managing/Whole-time Director is employed in the company or in any of its subsidiaries or in any other company under the same management or in the same group? If so, give particulars of employment, remuneration etc., in respect of each of them.
10. Has the proposal for which Government's approval has been sought ·
    (i) been covered by the Articles of Association of the company? If so, give number of Articles; or
    (ii) been approved by the Board of Directors of the company? ; or
    (iii) been approved by the company in general meeting ? (enclose copies of Resolution).
11. If the proposal involves any increase in number of Managing or whole-time Director or if the proposal is initially to appoint more than one Managing or Whole-time director the full reasons justifying the same and also the division of duties and responsibilities between the Managing/Whole-time Directors should be furnished.
12. The name of newspapers in which notice under section 640B have been published alongwith the dates thereof.
13. If the proposed Managing/Whole-time Director/Manager was previously under employment of the company, particulars of the post held by him and remuneration drawn by him during the last three years.
14. Is the proposed Managing/Whole-time Director/Manager working in any other company as Managing/whole-time Director/employees; if so, give details indicating the remuneration drawn by him during the last three years.
15. Was the proposed Managing/Whole-time Director /Manager involved at any time in proceedings under any of the following Acts or is any such proceedings pending;—

(i) The Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899)

(ii) The Central Excise and Salt Act, 1944 (1 of 1944)

(iii) The Imports and Exports (Control) Act, 1947 (1o, of 1947)

(iv) The Industries (Development and Regulation) Act 1951 (65 of 1951)

(v) The Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954)

(vi) The Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955).

(vii) The Companies Act, 1956 (1 of 1956).

(viii) The Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

(ix) The Income-tax Act, 1961 (43 of 1961).

(x) The Customs Act, 1962 (52 of 1962).

(xi) The Gold Control Act, 1968 (45 of 1968).

(xii) The Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969).

(xiii) The Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973).

(xiv) The Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974).

16. Whether the Managing/Whole-time Director suffers from any of the disqualifications mentioned in section 267 or 385 of the Companies Act, 1956.

17. Effective Capital on 31st December,........

(i) Paid-up Capital

(ii) Share premium

(iii) Reserves and Surplus

(iv) Long-term Loans (including deposits received, if any):

(a) Secured

(b) Unsecured

Less: Investments

Less: Accumulated losses and preliminary expenses not written off.

18. Working results for the last three years end:

(i) Turn-over

(ii) Net profits as per section 198,

(iii) Director/Manager's remuneration (give details)

1. Sitting fees paid to directors other than Managing Directors/whole-time Directors.

2. Salary : Paid to Managing/
Commission : whole-time Directors/Manager.
Bonus :

3. Perquisites and their money value : Paid to Managing/Whole-time Director/Manage

(iv) Rate and amount of Dividend declared on Equity shares.

(v) Percentage which the total managerial remuneration bears to the net profits.

19. Name and address of the present auditors

20. Whether a copy of the application together with enclosures has been sent to the Registrar of Companies, and if so, date thereof.

PART B

Application to the Central Government for approval to the payment of minimum remuneration or of remuneration in excess of the limits prescribed under section 309(3)

[Pursuant to section 198(4)/309(3)/387]

1. Whether the company proposes to pay minimum remuneration in the absence or inadequacy of profits or of remuneration in excess of the limits prescribed under section 309(3).

If so, proposal of the relevant company in this behalf,

(Enclose copies of the relevant resolution)

Declaration: To the best of my/our knowledge and belief the information given in the application and its annexure is correct and complete.

Signature ....

Dated : this..............day... ......19.... ..";

(xvi) Form No. 25C shall be omitted.

(xvii) for Form No. 35A, the following Form shall be substituted, namely:—

"THE COMPANIES ACT, 1956

FORM NO. 35A

Registration No.... ....

Nominal Capital Rs......... ......

Information to be furnished relation to any offer of a scheme or contact nvolving the transfer of shares or any class of share in the transfer of Company to the Transferee Company.

[Pursuant to section 395(4A)(a)(i)]

1. Name of the company making the offer or issuing any circular in connection with the offer (Transferee company).

(a) Management structure (composition of Board of Directors and particulars regarding manager and managing director, if any).

(b) Capital Structure

(c) The extent of share-holdings of the directors, manager, managing director (or their associates).

(d) The extent of share-holdings of the directors, manager, managing director (or their associates) in the transfer or company.

(e) If the offer is being made on behalf of a company by any other person, the interest of the person in the company which is making the offer.

[Transferor company]

2. (a) Name

(b) Management structure (composition of Board of Directors, and particulars regarding manager and managing director, if any).

(c) Capital structure.

(d) The extent of share-holding of the directors, manager, managing director (or their associates) in the transferor and transferee companies).

3. A summary of the financial position of the last three years of the transferee and transferor companies is given separately in the proforma contained in the Appendix.

4. The price of consideration offered for the purchase of the shares of the transferor company. If consideration is other than cash, full particulars thereon and where such consideration involves the allotment of shares in the transferee company, full particulars of the shares and the rights attached thereto shall be specified and the basis of valuation of the shares of the transferor company. In case where the consideration is the allotment of shares of the transferee

company, full particulars of the valuation of the shares of the transferee company proposed to be allotted shall also be furnished.

5. Sources from which the transferee company proposes to pay for the acquisition of the said shares, if the consideration is cash.

6. Details of transfers of shares in the transferor company by its directors, manager, managing director (or their associates) in the two years preceding the offer.

7. Reasons for which the offer has been recommended for acceptance by the members of the transferor company by its directors. Every recommendation to the members of the transferor company shall also contain a statement of the interests of its directors, manager, managing directors (or their associates) in the transferee company.

8. A certificate from the auditors of the transferor company that the information contained in the offer/recommendation is correct.

Signature....................

Name........................
(In Block Capitals)

Designation . . . .

Notes: 1. Statement pursuant to sub-clause (ii) of clause (a) of sub-section (4) of section 395 shall be furnished separately.

2. Attention is invited to section 320 of the Companies Act, 1956.

APPENDIX TO FORM 35A

Financial and liquidity position of the company according to the latest balance-sheet.

	Rs.	Rs.
Current Assets [Including investments other than trade investments and rinvestments in subsidiary and/or managed companies]	....	....
Less:		
Current Liabilities (Including short term loan liabilities)	....	....
Liquid Surplus		
Add:		
(a) Fixed Assets	. ...	....
(b) Trade investments and investments in subsidiary and/or managed companies.	....	....
Less:		
Long term loans and liabilities	....	......

NET WORTH AS ON..........(Date of balance sheet)

Note: In making the above computation of net worth, adjustments in respect of the following items shall be made:

(i) Intangible assets, e.g. goodwill etc.

(ii) Doubtful assets, e.g. doubtful and bad debts etc

(iii) Deferred revenue expenditure

(iv) Accumulated losses

(v) Arrears of depreciation

(vi) Arrears of preference shares dividend.

(vii) Any other amount, appearing in the balance sheet, required to be deducted in accordance with accounting practice.

.. ..

Total

....

Reconciliation of Net worth

Paid up Capital		
Add:		
Reserves (Please specify details)	....	. ...
Less:		
Intangible assets and other amount required to be deducted (vide Note above)	....	....
NET WORTH AS ON..........	....	....
(Date of balance sheet)		

(xviii) after Form 35A the following Form shall be inserted, namely:—

"THE COMPANIES ACT, 1956

FORM NO. 35B

Fee Rs. 100/.

Registration No.................

Nominal Capital Rs...........

Application by Director/Managing Director or Manager to the Central Government to use power to prevent change in the Board of Directors likely to affect company prejudicially.

[Pursuant to section 409]

Name of the company......................

1. Address of the company............................

2. Particulars of applicants
   (a) Name (In Block Capitals)
   (b) Address

3. Precise and specific reasons for using powers

4. The statements made in paragraphs..........above are true to my knowledge and those in paragraphs......are true to the best of my information and belief.

Signature.....................

Designation................

Dated the..... ....day of..........19........';

(xix) Form No. 36A and 36B shall be omitted.

(xx) for Form No. 52, the following Form shall be substituted, namely:—

"THE COMPANIES ACT, 1956

FORM NO. 52

Registration No ... .

Nominal Capital....................

Notice of (A) alteration in the names and addresses of persons resident in India authorised to accept service on behalf of a Foreign Company, (B) Alteration in the address of principal place of business in India of a Foreign Company, (C) List of places of business established by a Foreign Company in India, (D) Cessation to have a place of business in India.

[Pursuant to sections 593(d), (e), 594(3), 597(3)]

Name of the company................

Country of incorporation....................

The above named foreign company, having established a place of business in India at............hereby gives notice:—

(A) of the alteration in the names and addresses of persons resident in India authorised to accept service on behalf of the company:

Present Name and surname in full	Usual residential address	Remarks as to alteration (give date)
(1)	(2)	(3)

(B) of the alteration in the address of principal place of business of the company in India—

The principal place of business in India was shifted from.... ....to............with effect from..............

(C) of the places of business in India as at..............(1)

1. ....
2. ....
3. ....

(D) (1) that it ceased to have a place(s) of business in [illegible] at the following places since..........

(2) that the company is not maintaining place of b[illegible] at any other place in India.

Signature..................

Name:....................
(In Block Capitals)

Designation...............

Dated the............day of............19........

Notes : 1. The date upto which the balance sheet and p[illegible] and loss account required to be delivered to Registrar of Companies pursuant to section [illegible] of the Companies Act, 1956 are made out.

2. Portion not relevant should be deleted.

3. Signature or signatures of one or more [illegible] authorised under section 592(1)(d) of the Comp[illegible] Act, 1956 or of some person in India duly autho[illegible] by the company.";

(xxi) Form No. 54 and 54A shall be omitted.

[File No. 5/2/82-CL.V]

P.K. MALLIK, Jt. Secy.